भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3168

गुरुवार, 11 जुलाई, 2019/20 आषाढ़, 1941 (शक)

बैटरी-चालित/विद्युत चालित वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क में छूट

3168. श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री सु. थिरुनवुक्करासरः

श्री ए. गणेशमूर्तिः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने विद्युत चालित/बैटरी चालित वाहन प्रचालित हो रहे हैं;

(ख) देश में वर्तमान में ऐसे विद्युत चालित/बैटरी चालित वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क के तौर पर कितनी राशि ली जा रही है;

(ग) क्या सरकार का देश में पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बैटरी चालित/विद्युत चालित वाहनों हेतु पंजीकरण शुल्क में छूट देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस संबंध में केन्द्रीय मोटर यान नियम में संशोधन का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इस कदम से वायु-प्रदूषण से निपटने, तेल-आयात पर भारत की निर्भरता कम करने और देश में रोजगार सृजित करने में सहायता मिलने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में बैटरी-चालित/विद्युत चालित वाहनों के प्रचालन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): देश में आज तक विद्युत / बैटरी चालित वाहनों की राज्य / संघ राज्य क्षेत्र वार कुल संख्या के बारे में जानकारी अनुलग्नक में दी गई है।

(ख): इस मंत्रालय ने सा.का.नि. 1183 (अ), दिनांकित 29.12.2016 के माध्यम से केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 81 में संशोधन किया है, जो मोटर वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क के रूप में ली जा रही राशि को विनिर्दिष्ट करता है। सा.का.नि. 1183 (अ) इस मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (morth.nic.in)

(ग) और (घ): जी, हां। सरकार ने देश में पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बैटरी चालित / विद्युत वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क में छूट का प्रस्ताव किया है और सा.का.नि.430 (अ), दिनांक 18 जून 2019 के माध्यम से केंद्रीय मोटर यान नियमावली के नियम 81 में संशोधन हेतु टिप्पणियां और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए अधिसूचित किया है।

(ड.) और (च): सरकार वायु प्रदूषण से निपटने, तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और देश में रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से देश में पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। देश में बैटरी चालित / विद्युत वाहनों के परिचालन को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग विभाग ने 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रु. के परिव्यय से मंत्रिमंडल के अनुमोदन के साथ का.आ. 1300, दिनांकित 8 मार्च 2019 के तहत फेम इंडिया स्कीम [भारत में इलेक्ट्रिक और (हाइब्रिड) वाहनों का तेजी से अंगीकरण और विनिर्माण] का चरण-II अधिसूचित किया है। इस स्कीम की अधिसूचना और प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट [www.dhi.nic.in] पर उपलब्ध है। सरकार ने अधिसूचित किया है कि बैटरी चालित वाहनों के लिए पंजीकरण चिह्न हरे रंग की पृष्ठभूमि पर होना चाहिए। सरकार ने का.आ. 5333 (अ) दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से इथनॉल और मिथनॉल ईंधन से चलने वाले बैटरी चालित परिवहन वाहनों और परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकताओं से भी छूट दी है।

'बैटरी-चालित/विद्युत चालित वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क में छूट' के संबंध में श्री गजानन कीर्तिकर और अन्य द्वारा दिनांक 11.07.2019 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 3168 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आज की तारीख तक देश में परिचालित बैटरी/विद्युत चालित वाहनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

09-07-2019 तक विद्युत/ बैटरी चालित वाहन		
क्र. सं.	**राज्य**	**विद्युत/ बैटरी चालित वाहनों की सं.**
1	अरुणाचल प्रदेश (एआर)	13
2	असम (एएस)	15192
3	बिहार (बीआर)	17892
4	छत्तीसगढ़ (सीजी)	5319
5	चंडीगढ़ (सीएच)	480
6	दमन और दीव (डीडी)	55
7	दिल्ली (डीएल)	75746
8	दादरा और नगर हवेली (डीएन)	14
9	गोवा (जीए)	388
10	गुजरात (जीजे)	4053
11	हिमाचल प्रदेश (एचपी)	167
12	हरियाणा (एचआर)	11502
13	झारखंड (जेएच)	5257
14	जम्मू और कश्मीर (जेके)	198
15	कर्नाटक (केए)	31947
16	केरल (केएल)	57
17	महाराष्ट्र (एमएच)	19239
18	मेघालय (एमएल)	17
19	मणिपुर (एमएन)	142
20	मिजोरम (एमजेड)	18
21	नगालैंड (एनएल)	30
22	ओडिशा (ओआर)	3885
23	पंजाब (पीबी)	2774
24	पुदुच्चेरी (पीवाई)	948
25	राजस्थान (आरजे)	18143
26	सिक्किम (एसके)	23
27	तमिलनाडु (टीएन)	11958
28	त्रिपुरा (टीआर)	72
29	उत्तराखंड (यूके)	13592
30	उत्तर प्रदेश (यूपी)	139132
31	पश्चिम बंगाल (डब्ल्यूबी)	18931
	कुल जोड़	**397184**

नोट: मंत्रालय के पास तीन राज्यों आंध्र प्रदेश (एपी), मध्य प्रदेश (एमपी) और तेलंबाना (टीएस) के डाटा उपलब्ध नहीं हैं।

****